न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 121/2021

नबाब पुत्र सिताब जाति मेव निवासी ग्राम नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 21/12/2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 241 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 242 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 265/0.50, 266/0.53 बांके ग्राम नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकारों पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है क्योकि उनके विरूद्ध कोई दादरसी नही चाही गई है। वादी अपने हिस्से 1/4 के लिये ही वाद पेश कर रहा है। राजस्थान काश्ततकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही वादी के बुजुर्गान अपने–अपने हिस्से पर गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे जिन्होने अपने जीवन काल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त की और उनके बाद वादी काबिज काश्त आराजी है । आराजी मुतदाविया पर अब हाल में वादी का कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है जो खिलाफ कानून है। वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 16/11/21 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादी का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादी को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादी

3 :– दादरसी ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 नबाब , का शपथ पत्र पेश किय। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2010–13, 2014–17, 2018–21, 2022–25, 2026–29, 2030–33, 2034–37, 2038–41, 2047–50, 2051–54, 2055–58, 2059–62, एवं नकल खसरा गिरावरी सम्वत 2011–14, 2015–18, 2022–25, 2027–30, 2031–34, 2035–38, 2039–42, 2043–46, 2047–50, 2051–54, 2055–58, 2059–62, 2063–66, पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादी के पिता/दादा की आराजी है। वर्तमान में वादी का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी पर वादी के पिता/दादा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। वादी का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।

3. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर साविक 241 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 242 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 265/0.50, 266/0.53 बांके ग्राम नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 121/2021
नबाब पुत्र सिताब जाति मेव निवासी ग्राम नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादीग को आराजी खसरा नम्बर साविक 241 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 242 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 265/0.50, 266/0.53 बांके ग्राम नगला फिरोजपुर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/12/. सन् 2021 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner